मंत्रालयों में हिन्दी में काम काज

+

*719. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बख्शी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर, 1965 के "राष्ट्र भाषा सन्देश" के प्रथम पृष्ठ पर अंकित उस समाचार की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्र के किसी मंत्रालय में मूलरूप से हिन्दी में काम नहीं हो रहा है ; और

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दी में तैयार कागजातों के अंग्रेजी अनुवाद की उच्च अधिकारियों द्वारा मांग हिन्दी के मार्ग में मुख्य बाधा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । 9 दिसम्बर, 1965 को राष्ट्रभाषा सन्देश में प्रकाशित समाचार ठीक नहीं है।

(ख) जी नहीं। 1963 में ये हिदायतें जारी की गई कि जब कभी कोई ऐसी फाइल जिसमें हिन्दी में टिप्पणी लिखी गई हो किसी अन्य मंत्रालय को या उसी मंत्रालय के किसी अन्य अनुभाग को भेजी जाय तो हिन्दी टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद या सारांश साथ लगाया जाय। ये निर्णय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बड़ी संख्या के अभी भी ठीक प्रकार से हिन्दी न जानने के कारण करने पड़े ताकि मामले शीघ्रता से निपटाये जा सकें।

श्री भागवत झा आजाद : अगर यह बात सही है कि हिन्दी के राजभाषा होने के बाद भी यह हिदायत जारी की गई है कि जो सरकारी कर्मचारी मूलतः हिन्दी में कागज तैयार करते हैं, वे उसके साथ अंग्रेजी का अनुवाद जरूर दें, तो मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दी के विस्तार का यह सही रूप है, यदि नहीं है, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है सिवाय इसके कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों टिप्पण साथ साथ तैयार किये जायें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम लोग यह बात पूरी तरह से समझते हैं कि हिन्दी की प्रगति जितनी तेजी से होनी चाहिए, उतनी तेजी से नहीं हो सकी है। उसका कारण माननीय सदस्य जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, अंग्रेजी अनुवाद साथ लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारी सरकारी कमचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या हिन्दी को पूरी तरह से नहीं जानती है। हमारी यह नीति रही है—जिसके बारे में इस सदन की भी सहमति है—कि इस बारे में जल्दी न की जाये, ताकि हमारे देशवासियों को तकलीफ न हो। इन सब बातों को देखते हुए हम लोग स्वयं इस बात के लिए एन्क्शस हैं कि हिन्दी की प्रगति जल्दी से जल्दी होनी चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो एक खास उद्देश्य के लिए था, लेकिन उत्तर में बहुत से सिद्धान्त के प्रश्न उठाए गए हैं। शायद इसी कारण विपक्षी सदस्य मंत्रियों से ठीक जवाब मांगते हैं और इन से ठीक लोहा लेते हैं। खैर, मैं दूसरा प्रश्न करता हूं।

क्या यह बात सही नहीं है कि विभिन्न राज्य सरकारें केन्द्रीय मंत्रालयों

से हिन्दी में पत्राचार करना चाहती हैं, वे ऐसा इसलिए नहीं कर सकती हैं कि के ... सरकार के पास आज तक कोई ऐसा हिन्दी का सेल नहीं है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए हिन्दी पत्रों का अनुवाद हो जिसके कारण उन पत्रों का उत्तर देने में या उनके बारे में कार्यवाही करने में काफी देर हो जाती है? अगर माननीय गृह मंत्री इस प्रश्न का जवाब दें तो उत्तम रहे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस प्रकार का सैल हमारे यहां है जहां हिन्दी पत्रों का का अनुवाद किया जाता है। जहां तक हो सकता है हर एक हिन्दी के पत्र का जवाब हिन्दी में ही दिया जाता है।

Shri S. C. Samanta: May I know whether regular Hindi classes are being held in the various Central Ministries and, if so, what classes of officers and employees are trained there?

Shri Vidya Charan Shukla: It is a fact that regular classes are being held and all classes of officers are being trained.

Shri P. C. Borooah: Hindi is spoken in different States in different ways. Hindi spoken in Bihar, U.P., Madhya Pradesh, Rajasthan or Punjab is not alike. So, standardisation is wanting. Because of not doing standardisation of Hindi, non-Hindi-speaking officers find it difficult to follow the instructions. What steps are being taken for the standardisation of Hindi?

Shri Vidya Charan Shukla: Hindi in Devanagari script is a standard language. What the hon. Member is referring to are probably the dialects.

श्रीमती सावित्री निगम : मैं यह जानना चाहती हूं क पिछले सोलह वर्षों से अब तक केन्द्रीय सरकार कितने कर्मचारियों को हिन्दी का पठन पाठन सिखा सकी है उसमें इतनी असफलता क्यों हुई है और उन की पढ़ाई पर प्रति वर्ष कितना रुपया खर्च होता ... का दूसरा अंग यह कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननी सदस्यों ने पूछ लिये हैं और वह तीसरा पूछने जा रही हैं। वह बैठ जाये।

श्री विद्या चरण शुक्ल : केन्द्रीय सरकार के तीन लाख कर्मचारियों ने हिन्दी के पाठ्य क्रम पूरे कर लिये हैं और 1.7 लाख कर्मचारियों ने हिन्दी की विभिन्न परीक्षाये पास कर ली है। इस पर कितना खर्च हुआ है ये आंकड़ इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं उन को बाद में सभा-पटल पर रख सकता हूं।

Shri Kapur Singh: Since the impracticability of having instant Hindi at the Secretariat level has become apparent now, do the Government propose to slow down the process of imposing Hindi upon the country?

Mr. Deputy-Speaker: It is a suggestion for action.... (*Interruption*).

Shri Kapur Singh: It is such a good question; let us have a reply.... (*Interruption*). I asked for a reply from the Treasury Benches, not from my hon. friend there.... [*Interruption*].

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Please sit down, all of you.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : फिनांस मिनिस्ट्री के मातहत जो हिन्दी ही जानने वाले सरकारी कर्मचारी हैं जब उन्होंने हिन्दी में परीक्षा देनी चाही तो यह इच्छा प्रकट करने के कारण उन को यू० डी० सी० से एल० डी० सी० में निकाल दिया गया। आज बराबर दस साल से उन लोगों के पत्र-व्यवहार चल रहे हैं। अभी अभी मैंने मिनिस्टर साहब को इस बारे में पत्र लिखा था। फिर भी यही स्थिति आज तक चली आ रही है।उस आदमी को यू०डी०सी० से निकाल कर एल० डी० सी० में रख दिया गया है और अभी तक उस के साथ न्याय नहीं ही हो पाया है क्योंकि वह हिन्दी में इम्तहान देना चाहता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है ।

Shri Vidya Charan Shukla: It is an individual matter. If the hon. Member brings it to our notice, we shall definitely take action on it.

Mr. Deputy-Speaker: Professor Ranga.

Shri Rajaram: *Sabhanayakar avargale....*

Mr. Deputy-Speaker: I have called Professor Ranga.

Shri Ranga: In view of the fact that the maintenance of national integrity is as important as helping that action of officers who do not know Hindi to understand Hindi, the senior ministers —I am glad, both of them are present here—should give some thought and see that the suggestion made by my hon. friend Sardar Kapur Singh, is given some consideration and that this fascination for Hindi, which I do not mean to say is very bad, is not speeded up to such an extent that it would endanger national integrity also.

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): I am glad that the hon. Member does not grudge the interest of other Members in Hindi. It has been declared, announced here, stated several times that while Hindi has to progress, no impediments can be placed, should be placed, will be placed in the way of effective functioning of those who do not know Hindi. All kinds of facilities will be provided so that no difficulty is placed in their way.

Mr. Deputy-Speaker: Question Hour is over.

Shri Rajaram: May I put a question? You told me that you will be giving me a chance.

Mr. Deputy Speaker: I can go only till 12 O'Clock. The Calling Attention Notice. Shri Mathur.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Conditions of Detenus

***720. Shri Madhu Limaye:**
Shr Kishen Pattnayak:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the remarks of the Supreme Court to the Attorney General in regard to the conditions under which detenus (Political) are being kept by the Central and State Governments; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). As has already been stated in answer to Starred Question No. 419, there is no class of detenus classified as 'political detenus'. Taking note of the observations of the Supreme Court, the Central Government have recently made certain suggestions with a view to ensuring a measure of uniformity in the conditions of detention obtaining in the various States in respect of those detained for security reasons.

Academic Exchanges with Moscow

***721. Shri Karni Singhji:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that regular academic exchanges are to be established between Delhi University and Moscow State University;

(b) whether any standing agreement has been entered into in this connection; and

(c) if so the details thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir; but the matter is under consideration.

(c) Does not arise.